SPORTS BOARD

PANDIT DEENDAYAL UPADHAYAYA SEKHAWATI UNIVERSITY, SIKAR

Phones:01572-273200 (o) Fax: 01572-273100 web-site: www.shekhauni.ac.in

SPORTS CALENDAR FOR INTER-COLLEGE/ INTER-UNIVERSITY TOURNAMENTS, 2017-18

	INTER-COLLEGE TOURNAMENT			INTER-UNIVERSITY TOURNAMENTS			
S.No.	Games/ Sports	Date of Inter-Collegiate Tour.	Tournament Venue	WZ Inter-University Venue	Date	All India/ Inter Zonal Venue	Date
1.	Cross Country (M & W)	25 Sept.	Aravali PG College, Neem ka Thana, Sikar 9660120953/01574-231709	--------	------	VTU, Belgaon	30 Oct. 17
2.	Swimming (M & W)	26 Sept.	Swami Keshwanand Arts, Science & Commerce College, Bhadadar (Sikar) 9672989584/ 9460838016	----------	-----	Panjab Univ. Chandigarh	26-30 Oct. 17
3.	Badminton (M & W)	29-30 Nov.	Seth Motilal PG College, Jhunjhunu 9460844337/9352712932	North Maharastra Univ. Jalgaon		KIIT Univ. Bhubaneshwar	27-30 Jan. 18
4.	Basketball (M)	6-7 Dec.	Seth Motilal PG College, Jhunjhunu 9460844337/9352712932	MLS Univ., Udaipur		KIIT Univ. Bhubaneshwar	18-22 Feb.18
5.	Volleyball (M)	2-3 Nov.	Aravali PG College, Neem ka Thana, Sikar 9660120953/01574-231709	RD Univ. Jabalpur		RD Univ. Jabalpur	8-12 Dec. 17
6.	Basketball (W)	5-6 Oct.	B D Todi College, Laxmangarh 7737771794	ITM Univ. Gwalior	24-28 Oct. 17	Anna Univ., Chennai	20-24 Dec. 17
7.	Judo (M & W)	02 Oct..	Seth Motilal PG College, Jhunjhunu 9460844337/9352712932	----------	--------	Panjab Univ. Chandigarh (M)	20-24 Feb. 18
						Tilak Maharastra (W)	5-8 Nov. 17
8.	Volleyball (W)	27-28 Sept.	Gramin Mahila Mahavidyalaya, Sikar, 7023388746	IIS Univ. jaipur	19-23Dec.17	Kannur Univ.	
9.	Athletics (M & W)	22-24 Nov.	Seth Motilal PG College, Jhunjhunu 9460844337/9352712932	----------	-------	ANU Guntur	12-17 Jan. 18
10.	Wt. Lifting & Best Physique (M)	13-14 Oct.	Seth Motilal PG College, Jhunjhunu 9460844337/9352712932	Vacant	-------	Chandigarh Univ. Mohali	4-6 Nov. 17
11.	kabaddi (M)	15-17 Nov	Tagore PG College, Dantaramgarh 9414985536/9929594826	BAM Univ. Aurangabad		MD Univ. Rohtak	1-4 Feb. 18
12.	Cricket (M)	6 Dec.	Seth Motilal PG College, Jhunjhunu 9460844337/9352712932	Vacant		MD Univ. Rohtak	12-15 Feb. 18
13.	Wrestling (M & W) Greco Roman Style (M)	13-14 Oct.	Rahasthan Gramin Mahavidyalaya, Thoi (Srimadhopur) Sikar 9929531651	----------	---------	MD Univ. Rohtak	16-20 Dec. 17
14.	Kho-Kho (W)	6-7 Oct.	Mahatma Gandhi PG College, Srimadhopur 9667654899/9829638682	Gujrat Vidyapeeth	26-29 Nov.17	Gujrat Vidyapeeth	1-3 Dec. 17
15.	Kho-Kho (M)	6-7 Oct.	Mahatma Gandhi PG College, Srimadhopur 9667654899/9829638682	SRTM, Nanded		Univ. of Mysore	3-6 Mar. 18
16.	Football (M)	15-17 Dec.	Seth G.B. Poddar College, Nawalgarh 9982760231/9352186102	Jagran Lakecity Univ. Bhopal		Univ. of Calicut	13-16 Feb. 18
17.	Kabaddi (W)	22-23 Dec.	Smt. Manbhari Devi PG College, Chanana (Chirawa) 9928578967	Univ. of Mumbai, Mumbai		MD Univ. Rohtak	5-9 Feb. 18
18.	Handball (M)	4-5 Oct.	Saraswati Vidyamandir College, Surajgarh, 9812779900	RD Univ. Jabalpur		RD Univ. Jabalpur	30 Dec.-2 Jan.18

19.	Table Tennis (M & W)	5-6 Dec.	B D Todi College, Laxmangarh 7737771794	Sholapur Univ. (M)		Utkal Univ. (M)	13-17 Feb. 18
				Jagran Lakecity Univ. Bhopal (W)		Dibrugarh, Assam (W)	16-20 Feb. 18
20.	Handball (W)	4-5 Oct.	Saraswati Vidyamandir College, Surajgarh, 9812779900	Vacant		LPU, Jalandhar	17-20 Dec. 17
21.	Boxing (M/W)	22-23 Dec.	Saraswati Vidyamandir College, Surajgarh, 9812779900	Vacant		NIITS, Delhi	01-10 Mar.17
22.	Softball (M)	13-14 Dec.	Seth Motilal PG College, Jhunjhunu 9460844337/9352712932	Vacant		Vacant	15-18 Jan. 18

नोटः–1. **विश्वविद्यालय खेल बोर्ड के पास अपना कोई खेल मैदान व अन्य सुविधाएं नही है, अतः जिन खेलों का आयोजन कोई भी महाविद्यालय नहीं करवाता है उन खेलों में अन्तर–महाविद्यालय खेल प्रतियोगिताएं करवाना व अन्तर–विश्वविद्यालय खेल प्रतियोगिताओं में टीमों का भेजा जाना सम्भव नहीं होगा। जिन प्रतियोगिताओं में चार से कम टीम/ प्रतिभागी होंगे उन खेलों/प्रतियोगिताओं में केवल विश्वविद्यालय टीम हेतू सलेक्शन ट्रायल होगी, प्रतियोगिता नहीं होगी।**

2. सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतू प्रविष्टियॉ आयोजक महाविद्यालय एवं एक प्रति सचिव, खेल बोर्ड, शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को भेजने की अन्तिम तिथि 20 सितम्बर 2017 है।
3. विश्वविद्यालय टीम के खिलाड़ियों को चयन से पूर्व कूपर टेस्ट में 12 मिनट की शारीरिक दक्षता परीक्षण उत्तीर्ण करना आवश्यक है। इस परीक्षण में 12 मिनट में पुरुषों के लिए 2.4 कि.मी. (2400 मी.) व महिलाओं के लिए 2 कि.मी. (2000 मी.) दौडकर/चलकर दूरी तय करना अनिवार्य है।
4. प्रत्येक टीम के एलीजिबिलिटी प्रारुप के साथ प्रत्येक खिलाड़ी की 10वीं, 10+2, स्नातक/स्नातकोत्तर की अंकतालिका व पहचान पत्र की संस्था प्रधान से सत्यापित प्रतिलिपी प्रतियोगिता आयोजक महाविद्यालय को जमा कराना अनिवार्य है तथा प्रतियोगिता के दौरान छात्रों को सरकार द्वारा प्रदत फोटोयुक्त पहचान पत्र (आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस, पासपोर्ट में कोई एक) लाना अनिवार्य है।
5. एलीजिबिलिटी प्रारुप में छात्र के माता व पिता का नाम तथा मोबाईल नम्बर सहित सभी प्रविष्टियों को स्पष्ट लिखना अनिवार्य है। एलीजिबिलिटी प्रारुप विश्वविद्यालय की वेबसाइट (**www.shekhauniv.ac.in**) से डाउनलोड करें।
6. आयोजक महाविद्यालय द्वारा प्रतियोगिता की सूचना/निमत्रण की प्रतिक्षा किये बिना प्रतियोगिता से एक दिन पूर्व टीम के मैनेजर/प्रशिक्षक के साथ आयोजन स्थल पर उपस्थिति अनिवार्य है।
7. प्रत्येक प्रतियोगिता के आयोजन की तिथि से एक दिन पूर्व सांय 5.00 बजे मैनेजरों/प्रशिक्षको की उपस्थिति में प्रतियोगिता का ड्रा निकाला जायेगा। **बिना टीम मैनेजर/प्रशिक्षक के टीम को प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेने दिया जायेगा।**
8. प्रतियोगिता में किसी भी तरह के विवाद या अन्य **किसी शिकायत (प्रोटेस्ट) के लिये 1000/–रु0 प्रोटेस्ट फीस मैच समाप्ति से 2 घण्टे के अन्दर आयोजक महाविद्यालय को जमा करवा कर लिखित में सूचित करना होगा।** प्रोटेस्ट का निस्तारण प्रतियोगिता स्थल पर ही आयोजक महाविद्यालय में गठित प्रोटेस्ट/टेक्नीकल कमेटी द्वारा किया जायेगा।
9. सभी प्रतियोगिताऍ सम्बधित खेल संघ एवं AIU द्वारा निर्धारित नियमानुसार आयोजित करवाई जायेंगी। खिलाडी द्वारा मानक पूरे करने पर चयन समिति की अनुशंसा पश्चात ही खिलाडियों का चयन विश्वविद्यालय टीम में किया जायेगा।
10. क्रिकेट (पुरुष) प्रतियोगिता का ड्रा आयोजक महाविद्यालय को ____ 2017 तक प्राप्त प्रविष्टियों के आधार पर _____ 2017 को डाला जायेगा।
11. निर्णयन शुल्कः– टीम खेल रु. 400/–, क्रिकेट रु. 500/– प्रति मैच, व्यक्तिगत खेल रु. 600/– व एथलेटिक्स रु. 700/– प्रति वर्ग प्रति टीम होंगे।

आवश्यक सूचनाः– **जिस महाविद्यालय ने विश्वविद्यालय खेल बोर्ड की वार्षिक प्रवेश शुल्क राशि रु. 6000/– प्रति वर्ग जमा नहीं कराये है, उन्हे निर्देशित किया जाता है कि प्रवेश शुल्क (Entry Fee) रजिस्ट्रार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के नाम डी.डी. (Demand Draft) द्वारा अतिशीध्र जमा करावें अन्यथा उस महाविद्यालय के खिलाड़ी किसी भी प्रतियोगिता/ चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेने योग्य नहीं होंगे। स्पोर्टस कलैण्डर एवं स्पोर्टस से सम्बंधित सभी सूचनाएं विश्वविद्यालय की वेबसाइट (www.shekhauniv.ac.in) पर देखें एवं अपने महाविद्यालय की ई–मेल को समय–समय पर देखते रहें। सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी।**

(डॉ. राजेश कुमार ढ़ाका)
सचिव, विश्वविद्यालय खेल बोर्ड, सीकर
मो. 9414491443
ई–मेलः rajeshkumardhaka@rediffmail.com

विश्वविद्यालय खेल बोर्ड

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज.)
(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर–332001)
मो, 09414491443 टेलीफेक्स 01572–273100
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: rajeshkumardhaka@rediffmail.com

डा. राजेश कुमार ढाका
सचिव
विश्वविद्यालय खेल बोर्ड

अन्तर–महाविद्यालय/अन्तर–विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में सहभागिता हेतु नियम

(अ) योग्यता नियम

1. पूर्णकालिक नियमित छात्र/छात्रा जिन्होंने स्कूल स्तर की 10+2 परीक्षा के पश्चात् विश्वविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर पाठयक्रम में प्रवेश लिया हो, वही विश्वविद्यालय खेल बोर्ड द्वारा अधिस्वीकृत अन्तर महाविद्यालय/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते है।
   1.1. खुले विश्वविद्यालयों या दुरस्थ शिक्षा के नियमित/प्रमाणिक छात्र/छात्रा अखिल भारतीय विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकता है।
   1.2. शोध्र (पी.एच.डी.), एम. फिल. के नियमित छात्र अन्य योग्यता होने पर प्रतियोगित में भाग लेने योग्य होगें।
   1.3. विदेशी छात्र/छात्रायें अन्तर महाविद्यालय/अन्तर विश्वविद्याल प्रतियोगिताओं में भाग लने के लिए पात्र होगें, लेकिन किसी भी स्थिति में उनकी संख्या टीम में 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये।
2. अन्तर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने हेतु प्रत्येक पूर्णकालिक नियमित/प्रमाणिक छात्र/छात्रा को निम्नलिखित नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
   2.1. विश्वविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश पात्रता के योग्य हुए छात्र/छात्रा को 08 वर्ष से अधिक समय व्यतीत नहीं हुआ हो। 08 वर्ष के समय को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है :–
   (अ) 10+2 परीक्षा के पश्चात **स्नातक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्र/छात्रायें 05 वर्ष** से अधिक भाग नहीं ले सकते हैं। इस अवधि में छात्र/छात्रा अपने संकाय में परिवर्तन कर सकता है तथा उच्च कक्षा से निचली कक्षा में जाने की अनुमति होगी।
   (ब) **स्नातक पाठ्यक्रम के पश्चात स्नातकोत्तर में 03 वर्ष से अधिक भाग नहीं ले सकता।** इस अवधि में छात्र/छात्राओं को अपने पाठ्यक्रम में परिवर्तन अथवा उच्च कक्षा से निचली कक्षा में जाने की अनुमति होगी।
   2.2. **वही छात्र/छात्रा प्रतियोगिता में भाग ले सकता है जो सम्बन्धित शैक्षिक सत्र की प्रथम जुलाई को 17 वर्ष से कम व 25 वर्ष से अधिक आयु का ना हो।**
3. एक शैक्षिक सत्र् के दौरान प्रतिभागी छात्र/छात्रा एक ही विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर सकता है।

विश्वविद्यालय खेल बोर्ड

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज.)
(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर–332001)
मो, 09414491443 टेलीफेक्स 01572–273100
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: rajeshkumardhaka@rediffmail.com

डा. राजेश कुमार ढाका
सचिव
विश्वविद्यालय खेल बोर्ड

4. अस्थायी/अंशकालीन/पूरक परीक्षा के योग्य छात्र/छात्रा के रूप में प्रवेशित खिलाड़ी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के योग्य नहीं है।
5. एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय/राज्य परिवर्तन की स्थिति में स्थानान्तरण होने पर प्रतिभागी खिलाड़ी को विश्वविद्यालय प्रतिनिधित्व के योग्य तभी माना जायेगा जब माइग्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला विश्वविद्यालय प्रवेश की अन्तिम/वैध/पूर्णरूप से पुष्टि कर देगा।
6. **यदि 10+2 के बाद स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में एक कक्षा में अन्तराल दो वर्ष से अधिक का है, वह खिलाड़ी अन्तर महाविद्यालय/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेगा।**
7. 10+2/स्नातक/स्नातकोत्तर उत्तीर्ण करने पर अगली कक्षा में वह दो वर्ष तक ही खेल सकेगा और उस कक्षा में पास होने के पश्चात ही वह तीसरे वर्ष अगली कक्षा में खेल सकेगा। 10+2 उत्तीर्ण करने के वर्ष से ही उसके अवसर/वर्षो की गणना प्रारम्भ हो जायेगी।
8. छात्र का पिछले किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से खेले हुये अवसरों को भी आवश्यक रूप से वर्तमान खेलने के अवसरों के साथ गिना जायेगा। जिससे कि गलत दावा प्रस्तुत नहीं किया जावें। शैक्षणिक योग्यता भी तभी से स्वीकार होगी जब खिलाड़ी ने पूर्व में अन्तर महाविद्यालय/विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में खेलना प्रारम्भ किया था।
9. 10वीं, 10+2, स्नातक व स्नातकोत्तर की अंकतालिका की फोटो प्रतियॉ संस्था प्रधान से सत्यापित एवं प्रवेश शुल्क रसीद की मूल प्रति लाना भी आवश्यक है।
10. प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले महाविद्यालय के प्राचार्य/शारीरिक शिक्षक यह सुनिश्चित करे कि टीम के सभी खिलाड़ी राज्य सरकार की प्रवेश नीति के अनुसार प्रवेशित व AIU के नियमानुसार खेलों में भाग ले रहें हो। ऐसा ना करते पाये जाने पर सम्बधित महाविद्यालय एवं टीम पर नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(ब) व्याख्या :–

1. नियमित छात्र/छात्रा एक पाठ्यक्रम समाप्त होने के पश्चात उसी या नये पाठ्यक्रम में शामिल होता है तो सभी अवसर अन्तर महाविद्यालय/अन्तर विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार होगे।
2. पूरक परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात ही छात्र/छात्रा को अन्तर महाविद्यालय/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के योग्य होगें तथा अस्थाई प्रवेशित छात्र/छात्रा भाग लेने के योग्य नहीं होगें।
3. एक वर्ष का अर्थ यहाँ एक शैक्षणिक सत्र होगा जिसकी अवधि के दौरान छात्र/छात्रा उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण रहे सामान्यतः यह अवधि एक जुलाई से 12 महीने तक तथा आगामी सत्र के सामान्य आरम्भ तक मान्य होगी।
4. योग्य तथा पात्र छात्र/छात्रा प्रतिनिधि अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में एक कक्षा में अधिकतम दो वर्ष अपने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व कर सकता है। एक ही

विश्वविद्यालय खेल बोर्ड

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज.)
(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर–332001)
मो, 09414491443 टेलीफेक्स 01572–273100
वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: rajeshkumardhaka@rediffmail.com

डा. राजेश कुमार ढाका
सचिव
विश्वविद्यालय खेल बोर्ड

सत्र में एक कक्षा में यह रोक लागू होने पर भी पाठ्यक्रम/डिप्लोमा की पूर्णावधि से एक वर्ष अधिक खेल सकने का निषेध यहाँ भी लागू होगा। पूर्णावधि से एक वर्ष अधिक प्रतियोगिता में पाठ्यक्रम/कार्यक्रम की प्रतिभागी छात्र/छात्रा के प्रतिनिधित्व पर रोक/निषेध का तात्पर्य होगा कि स्नातक पाठ्यक्रम छात्र 5 वर्ष तक ही रहेगा।

5. संकाय परिवर्तन सम्भव है परन्तु अध्ययन की पूर्णावधि के प्रथम दो वर्ष, प्रथम प्रवेश वाले संकाय में ही होंगें।
6. शेष अवधि (एक या दो वर्ष) ही स्थानान्तरित संकाय में तभी पूर्ण की जा सकती है जब नये संकाय का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर लिया हो।

योग्यता/पात्रता नियमों के उल्लघन पर अयोग्यता

1. किसी भी प्रतिभागी के पात्रता नियमों का उल्लंघन पूर्ण टीम की स्वतः अयोग्यता के लिए जिम्मेदार होगा और उस महाविद्यालय को रूपये 5000/– से दण्डित किया जायेगा तथा इसकी रिपोर्ट निदेशक, कॉलेज शिक्षा तथा सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को भेजी जायेगी।
2. प्रतिनिधित्व अयोग्य छात्र/छात्रा को अन्तर महाविद्यालय खेलों से वंचित होने पर आगामी वर्ष में भी प्रतिभागी छात्र/छात्रा को प्रतिनिधित्व से वंचित किया जा सकता है।
3. अखिल भारतीय विश्वविद्यालय टीम में चयन होने के पश्चात् प्रतिभागी छात्र/छात्रा यदि किसी अन्य संस्थान का प्रतिनिधित्व भारतीय विश्वविद्यालय संघ की अनुमति के बिना करता पाया जाने पर किसी भी अन्तर महाविद्यालय/अन्तर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग लेने से वंचित कर दिया जायेगा एवं उसके विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
4. जो छात्र/छात्रा पूर्णकालिक आधार पर नौकरी कर रहे हैं, वे प्रतियोगिता के लिये योग्य नहीं होंगें।
5. यदि किसी छात्र/छात्रा द्वारा प्रतियोगिता के दौरान नियमों का उल्लंघन करने, अवांछनीय व्यवहार, लड़ाई झगड़ा करते पाये जाने पर अखिल भारतीय विश्वविद्यालय नियमानुसार महाविद्यालय/विश्वविद्यालय द्वारा उन खिलाड़ियों का प्रवेश निरस्त कर नियमानुसार जॉच कराई जावेगी।

प्रतिलिपि– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. कुलपति सचिवालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
2. कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
3. सम्बन्धित महाविद्यालय।

ii. Not more than 3 years after passing Graduation or equivalent while pursuing post graduate course/studies, irrespective of any other conditions like change of class/course/faculty, joining lower class from higher, changing academic to professional courses or vice versa, provided that students admitted, after passing +2 examination to graduate courses of more than 3 years duration like Medical, Engineering, Agriculture, Pharmacy etc. shall be eligible to participate in the Inter-University tournaments for the actual length of such graduate courses/studies

- Only students, who are less than 25 years of age as on first July of the academic year in which the tournament is held, can participate.
- Students shall not be full-time employees of Public or Private sector as the case may be.
- A student shall not be allowed to represent more than one University during a single academic year.
- Provisional admission to a course or University shall not make the student eligible to represent the University
- In case of a student migrating from one University to another, his/her migration case will be considered eligible only after his/her admission in the new university is regularized and he/she is admitted as a bonafide student by the new university.
- No Objection Certificate (NOC) is mandatory to be eligible for participation for those students, who received or receiving stipend/financial support for pursuing excellence in competitive sports as career from Public or Private Sector to support their studies, as the case may be.

Note: As per existing practice, the comments and queries with regard to the Revised Eligibility Rules received from member universities, if any, will be reported to the next Sports Board Meeting for consideration.

****

Association of Indian Universities

28-07-2017

(Sports Board)

Subject: Revised Eligibility Rules for participation of students/athletes in National University Games:2017-18 onwards.

1. The matter with regard to revised Eligibility Rules was considered and discussed thread-bare in the meeting. Sports Board decided to adopt and approve the decision of International University Sports Federation (FISU) regarding the amendment/change in "Age Limit" for participation of student athletes in FISU sporting competitions from 2017-18 onwards. Accordingly, the new approved "Age Limit" from 17 to 25 years shall be applicable for participation of Indian Universities contingent/teams in all the sporting events, including the discipline of Basketball organized by the FISU.

2. Lot of queries have been pouring in AIU office from the member universities regarding Revised Eligibility Rules as these are mandatory for the purpose of admission and selection of teams for participation at zonal and Inter Zonal(National) tournaments.

3. Further, it was also decided to implement the above Age limit from 17 to 25 years alongwith existing "eligibility conditions" put in place for participation of bonafide and full time (regular) students, for participation in National University Games from 2017-18 onwards alongwith following additional terms and conditions:

4. Accordingly, a copy of Revised Eligibility Rules is uploaded on our website www.aiu.ac.in for advance information and necessary action of all the stakeholders. Further, a copy of the same is being circulated to all member universities for advance information of all the stakeholders in due course of time.

- Age limit of the students shall be minimum 17 years and maximum upto 25 years
- Only a bonafide, full time student, who is enrolled for a course of the University, which is of a minimum duration of one academic year, and whose examination is conducted by the university, shall be eligible to participate in the Inter-University tournaments.
- Students of open Universities shall be considered to be bonafied students and shall be eligible to participate provided they fulfil other conditions.
- Ph.D., M. Phil., Compartment, etc. students will be eligible to participate only if in terms of the concerned university rules they are regarded to be bonafide students and fulfil other conditions laid down in this behalf.All students participating in the Inter University Tournaments shall fulfil the following conditions:
- Not more than 8 years have elapsed since a student passed the examination qualifying him/her for first admission to a university or college affiliated to a university. The 8 year period mentioned above shall be distributed as below:-
    i. not more than 5 years after passing 10+2 or equivalent while pursuing graduate courses/studies.